

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/महारानी/इन्दौर/भ्रा/2018/0375

घनश्यामदास सांघी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट

तर्फे मेनेजिंग ट्रस्टी श्री शरद सांघी

निवासी— 25 पलासिया मेनरोड इन्दौर म.प्र.प्रार्थी

विरुद्ध

मि. श्रीमती महारानी उषा राजे होलकर ट्रस्ट

तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलजीत सिंह राठौर

पिता राजेन्द्र सिंह राठौर

निवासी— 26 सी. इन्द्रपुरी कालोनी इन्दौर म.प्र.

2. राजस्व निरीक्षक वृत्त —6 इन्दौर,

तहसील जुनी इन्दौर जिला इन्दौरप्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959



श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त—6 इन्दौर तहसील — जुनी इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा सूचना पत्र प्रकरण क्रमांक — निरंक दिनांक — निरंक से असतुंष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

(Signature)
12/12/18

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक P.S.R/[नं] १०२०/८५४३७५ | १४/०३७५ जिला उत्तर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2018	<p>ओवेदक छायिनमता श्री एच.एन. फड़के उपस्थित इन्हें ग्राहन पर सुना गया । तदसील व्यापालय के सूचना पत्र का अवलोकन किया गया। ओवेदक छायिनमता द्वारा बताया गया कि तदसील व्यापालय द्वारा जारी सूचना पत्र तामील नहीं हुआ है। युक्ति ओवेदक इस व्यापालय में उपस्थित हो गया है। अतः तदसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि ओवेदक को सुनबाई का अवसर देने के बारे ही व ओवेदक की आपत्तियों का विश्वाकरण करने के बारे ही प्रकरण में जागामी कार्यवाही करे। तदसीलदार को इन निर्देशों के साथ यह चुक्रण समाप्त किया जाता है।</p> <p> </p>	